

बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/31/2022-21

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-09/01/2023

विषय— श्री मुरारी कुमार द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत खम्हार मौजा के खाता संख्या-124, 165, 172, खेसरा संख्या-2903, 2904, 2905, थाना संख्या-216, थाना-मुसफ्फील में SH-55 रोसरा-बेगूसराय पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/153553/2022/624 दिनांक 18.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 20.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 18.10.2022 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,45,067.00 (रु० आठ लाख पैंतालीस हजार सड़सठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270153553801, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.12.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. UCBAH22339719970 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.018 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.018 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 17,240/- (सतरह हजार दो सौ चालीस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270153553801, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.12.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. UCBAH22339719970 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.12.2022 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	The User agency shall upload/submit NOCs from the RCD/PWD/ in favour of the proposal before the issuance of State-II approval or working permission.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पथ निर्माण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
7	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:		
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्य को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The forest land shall not be used for	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	any purpose other than	
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक- 09/01/2023

ज्ञापांक- FC/31/2022-21

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय एवं श्री मुरारी कुमार, पिता-श्री राम चरित्र सिंह, ग्राम+पोस्ट-खम्हार, जिला-बेगूसराय, पिन-851131 को सूचना हेतु प्रेषित।



(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi																				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/ Begusarai/ Begusarai Forest Division, Begusarai.																				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Murari Kumar/ HPCL Retail Outlet																				
4	Extent of forest area involved	0.018 Ha.																				
5	Whether Original, or extension	Original																				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-																				
7	Date of 1st stage Clearance	18.10.2022																				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.																					
	a. Compensatory Afforestation	8,45,067/-																				
	b. Additional CA	-NA-																				
	c. Penal CA	-NA-																				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-																				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-																				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-																				
	g. Net present Value	17,240/-																				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-																				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">S.No</th><th style="width: 15%;">MODE Remtt.</th><th style="width: 30%;">UTR No. & Date</th><th style="width: 20%;">Amount</th><th style="width: 25%;">Head</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>e-challan</td><td>UCBAH22339719970 dt. 05.12.2022</td><td>17,240/-</td><td>NPV</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td>8,45,067/-</td><td>CA</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total-</td><td>8,62,307 /-</td><td></td></tr> </tbody> </table>	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head	1	e-challan	UCBAH22339719970 dt. 05.12.2022	17,240/-	NPV	2			8,45,067/-	CA	Total-			8,62,307 /-	
S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head																		
1	e-challan	UCBAH22339719970 dt. 05.12.2022	17,240/-	NPV																		
2			8,45,067/-	CA																		
Total-			8,62,307 /-																			
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.																				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 05.12.2022																				
12	Any other remarks																					



(Arvinder Singh)
Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 20/12/2022



विषय—

श्री मुरारी कुमार द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत खम्हार मौजा के खाता संख्या—124, 165, 172, खेसरा संख्या—2903, 2904, 2905, थाना संख्या—216, थाना—मुसफ्फील में SH-55 रोसरा—बेगूसराय पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग—

आपका पत्रांक 951, दिनांक 08.11.2022,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक—FP/BR/Approach/153553/2022/624 दिनांक 18.10.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1—7 शर्त एवं B में 1—9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,45,067.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270153553801, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.12.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UCBAH22339719970 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.018 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 17,240/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270153553801, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.12.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UCBAH22339719970 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 05.12.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
7. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

मुरारी कुमार

मुरारी कुमार,

पिता-श्री राम चरित्र सिंह,

ग्राम+पोस्ट-खम्हार, जिला-बेगूसराय,

पिन-851131

कार्यालय जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के तहत रैखिक परियोजना
निर्माण हेतु F.R.A 2006 का प्रमाण-पत्र
 (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा
 दिनांक-28.10.2014 को निर्गत दिशा निदेश के तहत)

संख्या-1358/सा०, दिनांक12/9/2022...../

प्रमाणित किया जाता है कि बेगूसराय जिले में प्रयोक्ता एजेंसी श्री मुरारी कुमार, द्वारा H.P.C.L का रिटेल आउटलेट रैखिक परियोजना निर्माण स्थान-खम्हार तक कुल लम्बाई 38 मी० में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.018 हक्टेयर रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-1158, दिनांक-29.07.2022 द्वारा F.R.A 2006 का प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपन दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान - बेगूसराय

दिनांक -

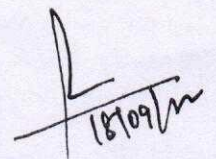

18/09/22

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय

Certified that forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75th Years prior to the 13th December, 2005 and is located in villages having no recorded population of scheduled Tribes, as per the Census 2001 and Census 2011.

Place - Begusarai

Date -


18/09/22

District Magistrate,
Begusarai.

मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

29

पत्रांक :- प्र०-23/उ०बि० (या०) आउटलेट-30-10/2022

दिनांक :-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता, उत्तर

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, दरभंगा,
पथ निर्माण विभाग।

विषय:- पथ प्रमण्डल, बेगूसराय अन्तर्गत बेगूसराय-मंझौल-सागी पथ (SH-55) पथ के 8वें कि०मी० में मौजा-खम्हार, प्लॉट संख्या-2903, 2904 एवं 2905, खाता संख्या-124, 165, 172, थाना नं०-216 जिला-बेगूसराय में प्रस्तावित HPCL का रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- (i) आपका पत्रांक-1844 (अनु०), दिनांक-09.11.2022
(ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S) दिनांक- 08.03.2018
(iii) विभागीय पत्रांक- 4770 (E), दिनांक 24.08.2017

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में पथ प्रमण्डल, बेगूसराय अन्तर्गत बेगूसराय-मंझौल-सागी पथ (SH-55) पथ के 8वें कि०मी० में मौजा-खम्हार, प्लॉट संख्या-2903, 2904 एवं 2905, खाता संख्या-124, 165, 172, थाना नं०-216 जिला-बेगूसराय में प्रस्तावित HPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-4770 (ई०) दिनांक-24.08.2017) तथा संकल्प ज्ञापांक-1921(S), दिनांक- 08.03.2018 के आलोक में प्रदान की जाती है। उक्त अनापत्ति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेगूसराय द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट में अंकित विवरणी के आधार पर दी जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल का निरीक्षण कर चेकलिस्ट में अंकित विवरणी से संतुष्ट होकर ही अग्रतर कार्रवाई की जाय। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो कार्यपालक अभियंता इसके लिए जिम्मेवार होंगे:-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 की कंडिका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
4. विभागीय पत्रांक 4770 (ई०) दिनांक 24.08.2017 की कंडिका-6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
5. समर्पित चेकलिस्ट के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि चेकलिस्ट में दर्ज सूचनओं से स्वयं भी संतुष्टि कर कार्रवाई करेंगे।

अनु०:- मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

ज्ञापांक :-

2427

दिनांक :-

22/11/22

मुख्य अभियंता, उत्तर

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेगूसराय/Ass. Sales Manager-Retail, Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL Begusarai Retail Regional Office, Raghunath Place, Har-Har Mahadeo Chowk, NH-31, Dist- Begusarai-851101/**SHRI MURARI KUMAR, S/O- SHRI RAM CHARITRA SINGH, AT+PO-Khamhar, Dist.-Begusarai, Pin-851131** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता, उत्तर



यूको बैंक
UCO Bank

KHAMHAR RAJWARA
AT & PO KHAMHAR RAJWAR - A, DIST. BEGUSARAI
KHAMHAR RAJWARA - 851131
RTGS/NEFT IFS CODE : UCBA0001380

Valid for three months from the date of instrument

05 12 20 22
D D M M Y Y Y Y
3F08WE

PAY

BIHAR CAMPA.

या धारक को OR BEARER

RUPEES रुपये

Eight lakh sixty two thousand -

Three hundred seven rupees only

₹ 862307/

खा. सं.
A/c No. 13800100003644

क्रम सं.
Seqn. No. 001012000003

SB

Payable at par at all UCO CBS branches

000069453557

⑈000003⑈ 851028105⑈ 001012⑈ 31

मुरारी कुमार

MURARI KUMAR
Please sign above

SESHAASAI (K) CTS 20

16/06/2022

SB / 1474159

यूको बैंक



UCO BANK

Head Office

16 A, B. T. M. Sarani, Kolkata, - 700 001

27

R. T. G. S. / N. E. F. T. APPLICATION FORM

To,
UCO BANK
Khamhar Rajwara Branch, Begusarai.

As I want to remit the funds using R.T.G.S. / N.E.F.T. facility at your branch I am furnishing here with the details of the accounts as below :

FROM :

01. ACCOUNT (Name) :

MURARI KUMAR

02. ACCOUNT No. :

13800100003644

03. AMOUNT (Rs.) :

862307-

04. CHEQUE No. :

000003

05. CHEQUE DATE :

05/12/2022

TO :

06. NAME OF BANK :

UNION BANK OF India.

07. BANK CODE :

08. BRANCH CODE :

09. I.F.S.C. CODE :

UBIN0996335

10. ACCOUNT NAME :

BIHAR CAMPA

11. ADDRESS :

Union Bank of India, FCS Centre, 211, III floor
Jelitta towers, Mission Road, Bangalore, 560027

12. ACCOUNT No. :

1506270153553501

Date :

5/14/2022

Yours sincerely

MURARI KUMAR

UCO BANK 22339719970
000069453557

28

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-12-2022

Agency Name.	MURARI KUMAR
Application No.	70153553801
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/153553/2022(PT)
Location.	BIHAR
Address.	S/o-Shri Ram Charitra Singh, AT+PO-Khamhar, Dist.-Begusarai Begusarai
Amount(in Rs)	862307/-

Amount in Words :Eight Lakh Sixty-Two Thousand Three Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270153553801
	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-12-2022

Agency Name.	MURARI KUMAR
Application No.	70153553801
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/153553/2022(PT)
Location.	BIHAR
Address:	S/o-Shri Ram Charitra Singh, AT+PO-Khamhar, Dist.-Begusarai Begusarai
Amount(in Rs)	862307/-

Amount in Words :Eight Lakh Sixty-Two Thousand Three Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270153553801
	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank